Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – गागेडा

घीसी पत्नि रामचन्द्र माली
निवासी– शिवनगर

बनाम

बालु पिता नारु माली
निवासी– शिवनगर

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 53, 92ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 264/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया के ससूर नारु पुत्र जोधा माली के खातेदारी की थी, नारु के फौत होने के बाद विरासत से वादीया के पति रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या– 1 बालु के नाम नामान्तकरण संख्या– 551 दिनांक 26.07.1995 से दर्ज हुई। तथा वादीया के पति रामचन्द्र भी लाऔलाद फौत होने से रामचन्द्र के नाम की व उनके हक अधिकार की 1/2 भूमि नामान्तकरण संख्या– 633 दिनांक 25.08.1998 से वादीया के नाम विरासत से दर्ज हुई। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 ने विरासती नामान्तकरण संख्या– 551 व 633 के निर्णय के वक्त ग्राम पंचायत के समक्ष अपने सहमति देक़र अपना हक हमेशा के लिये त्याग कर दिया था, जिससे उनका वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार शेष नही रहे थे। वकील वादी का बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के पति रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात व नारु की विरासत का नामान्तकरण खुलने के 12 साल बाद तहसीलदार से मिला भगती कर प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 का नाम नामान्तकरण खोलने हेतु अवैधानिक आदेश दिनांक 30.07.2007 से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा लिया। तहसीलदार को नारु की विरासत को पुनः खोलने का कोई विधिक अधिकार नही था। अन्त में कथन किया कि तहसीलदार के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये वह शून्य होने से निरस्त फरमाया जावें। तथा वादग्रस्त आराजी में वादीया के हक हिस्से की 1/2 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि जो प्रतिवादी संख्या– 4 को विक्रय की गई है उसे कम करने के पश्चात शेष 1/4 हिस्से की भूमि को वादीया के नाम दर्ज करवा ली जावें । जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता नारु पिता जोधा के समय की होकर उक्त आराजीयात में वादीया एवं प्रतिवादीया का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित होकर अपने अपने निहित हिस्सेनुसार	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीया ने उक्त आराजीयात में से अपने निहित हिस्से 1/4 को श्रीमति पांची देवी पत्नि हजारी गुर्जर को दिनांक 13.02.2008 को विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजीयात में वादीया श्रीमति घीसी का कोई हक अधिकार शेष नही रहा। वादीया द्वारा उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा लेना चाहती है जबकि वादीया का 1/4 हक हिस्सा ही बनता है जिसको वह विक्रय कर चूकी है। वकील प्रतिवादी का यह भी कथन था कि नारु जी के समय की ग्राम शिवनगर में जायदाद स्थित है जिसमें भी प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित होने से प्रतिवादीगण द्वारा जायदाद विभाजन बाबत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल जज साहब, गुलाबपुरा के समक्ष वाद पेश किया जो प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर 1/4, 1/4 हक हिस्सा प्रत्येक का मानते हुये डिक्री फरमाया गया था, जिसकी अपील वादीया द्वारा अपर जिला सेशन न्यायाधीश महादेय गुलाबपुरा के द्वारा पेश की गई जो दिनांक 25.04.2016 को खारिज कर दी गई। अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का 1/4, हक हिस्सा निहित था। उस हिस्से को वादीया के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 पांची को विक्रय कर देने से उक्त आराजीयात में अब कोई हक हिस्सा शेष नही बचने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 मौजा शिवनगर तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 311, 313, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 351/753, 606, 352 किता 11 रकवा 34 बीघा 17 बिस्वा भूमि नारु पिता जोधा माली साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 551 दिनांक 26.07.1995 विरासत से नारु के बजाय बालु, रामचन्द्र पुत्र नारु माली का नाम दर्ज होना तथा नामान्तकरण संख्या– 633 दिनांक 25.08.1998 विरासत से रामचन्द्र के बजाय मुस्मात घीसी बेवा रामचन्द्र का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है।

यहॉ वादीया का कथन है कि उनके ससूर नारु की विरासत का नामान्तकरण खुलने के 12 वर्ष बाद तहसीलदार ने पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 30.07.2007 से प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 के साथ मिलकर नामान्तकरण संख्या– 913 दिनांक 31.07.2007 मृतक नारु की विरासत का पुनः खोल दिया जो विधि विरुद्ध है। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा नामान्तकरण संख्या– 913 व पत्र दिनांक 1616 दिनांक 30.07.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जिस अनुसार तहसीलदार हुरडा के द्वारा मृतक खातेदार नारु माली की विरासत बालु पुत्र नारु घीसी बेवा रामचन्द्र, बदामी, बरजी, पुत्रीयॉ नारु माली के नाम नामान्तकरण दर्ज कर अमल दरामद किये जाने के आदेश पटवारी हल्का गागेडा को दिया

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जाना तथा तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में पटवारी के द्वारा नामान्तकरण संख्या– 913 भरा जाकर तहसीलदार हुरडा के द्वारा दिनांक 31.07.2007 को निर्णित किया जाना प्रकट आया। वादीया के द्वारा यह वादपत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत हकों की घोषणा करवाने का प्रस्तुत किया गया है, जबकि मामला हक घोषणा का ना होकर नामान्तकरण अपील का है। यदि वादीया नामान्तकरण संख्या– 913 निर्णय दिनांक 31.07.2007 से सन्तुष्ट नही है तो वह सक्षम न्यायालय में नामान्तकरण संख्या– 913 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। लिहाजा दावा वादीया खारिज योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादीया खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करे। निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट पानेडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा